

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका संख्या 6199 / 2017

परमजीत सिंह, पिता;- स्वर्गीय चानन सिंह, निवासी ई/124, ए ब्लॉक, सोनारी
ईस्ट लेआउट, डाकघर और थाना सोनारी, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, पिन
831001 ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, डाकघर और थाना साकची,
जमशेदपुर जिला पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से।
2. जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, अपने विशेष अधिकारी के माध्यम से,
कार्यालय;- साकची, जमशेदपुर, डाकघर और थाना साकची, जमशेदपुर,
जिला पूर्वी सिंहभूम (झारखंड)। उत्तरदाताओ

याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी : श्री सुमित गडोदिया,

उत्तरदाताओं के लिए वकील : श्री जय प्रकाश, एएजी

श्री अमितेश कुमार गीसेन, एसी से एएजी

उपस्थित

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को निर्देश देने की प्रार्थना की गई है कि वे बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत कोई कार्यवाही शुरू किए बिना याचिकाकर्ता के दुकान परिसर के शेष हिस्से को न गिराएं, जिसमें 534.60 वर्ग फुट का क्षेत्र होल्डिंग नंबर 1, मिल्स एंड गोदाम एरिया, साकची, जमशेदपुर का हिस्सा है।

3. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि क्षेत्र का वह हिस्सा जो पहले ही ध्वस्त हो चुका है, एक अतिक्रमित भूमि थी, लेकिन 534.60 वर्ग फुट का क्षेत्र अतिक्रमित क्षेत्र नहीं है, इसलिए, उत्तरदाताओं का भविष्य में किसी भी समय इसे ध्वस्त करने का कोई इरादा नहीं है

4. उत्तरदाताओं द्वारा किए गए पूर्वोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा उत्तरदाताओं को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के उक्त दुकान परिसर के किसी भी विध्वंस में शामिल न हों, जो 534.60 वर्ग फुट के क्षेत्र को पहले से ही इस आदेश के पूर्वगामी अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है और यदि इसके विध्वंस की कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है, ऐसा कानून की उचित प्रक्रिया का सहारा लेने के बाद ही किया जा सकता है।

5. इस रिट याचिका का निस्तारण पूर्वोक्त निर्देश के साथ किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 4 जनवरी, 2024

ए. एफ. आर/ अनिमेष

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।